

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, पकड़ीदयाल।

पटना, दिनांक- 08/02/18

विषय:- प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, पकड़ीदयाल को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की कोषागार से निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक- 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर परिषद में कुल ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) एवं नगर पंचायत में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर परिषद में ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) एवं नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, पकड़ीदयाल में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।

3. कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी के पत्रांक- 338, दिनांक- 20.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभाग द्वारा आवंटित कुल राशि ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से ₹257.50667 लाख (दो करोड़ संतावन लाख पचास हजार छः सौ सड़सठ रु०) मात्र की निकासी नहीं की जा सकी है। साथ ही कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त अनिकासी प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए कुल ₹257.50667 लाख (दो करोड़ संतावन लाख पचास हजार छः सौ सड़सठ रु०) मात्र पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया है।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के पत्रांक- 496, दिनांक- 18.07.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभाग द्वारा आवंटित कुल राशि ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र में से ₹61.40 लाख (एकसठ लाख चालीस हजार रु०) मात्र की निकासी नहीं की

५

जा सकी है। साथ ही कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त अनिकासी प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

5. तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी द्वारा कोषागार से निकासी नहीं की गयी राशि को विभागीय राज्यादेश सं०- 111 दिनांक- 09/02/18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र निम्न तालिका के स्तम्भ- 8 के अनुरूप निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	राज्यादेश/ दिनांक	स्वीकृत राशि	निकासी की गई राशि	अनिकासी की राशि	तत्काल आवंटित कुल अनिकासी की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नगर परिषद्, सीतामढ़ी	392.92000	31/13.11.2013	125.00000	62.50000	62.50000	150.00000
			63/06.02.2014	104.16000	52.08000	52.08000	
			43/15.09.2014	142.92667	0.00000	142.92667	
योग (क)				372.08667	114.58000	257.50667	150.00000
2.	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	169.56000	31/13.11.2013	75.47000	13.57000	61.90000	61.90000
योग (ख)				75.47000	13.57000	61.90000	61.90000
कुल योग (क+ख)				447.55667	128.15000	319.40667	211.90000

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र।

6. आवंटित कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :-

(क) आवंटित कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 पर अंकित नगर परिषद्, सीतामढ़ी के लिए ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर

परिषदों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) आवंटित कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 2 पर अंकित नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के लिए ₹61.40 लाख (एकसठ लाख चालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

8. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/प्र०भ०-04-03/2013 112 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 08/02/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

E-mail
Speedpost

पत्रांक-2ब0/प्र0भ0-04-03/2013)))

/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*** अनौपचारिक
रूप से परामर्शित**

*** द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक- 08/02/18

विषय:- प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन के निर्माण हेतु नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, पकड़ीदयाल को वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत एवं आवंटित राशि की कोषागार से निकासी नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक- 22.10.2013 के मद संख्या 03 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में राज्य के 24 नगर परिषदों एवं 55 नगर पंचायतों में नगर सरकार भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर बिहार में स्थित नगर परिषद् में कुल ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) एवं नगर पंचायत में कुल ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र तथा दक्षिण बिहार में स्थित नगर परिषद् में ₹311.29 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार रु०) एवं नगर पंचायतों में कुल ₹154.15 लाख (एक करोड़ चौवन लाख पंद्रह हजार रु०) मात्र के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु मॉडल प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. उक्त के आलोक में नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, पकड़ीदयाल में प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत सम्पूर्ण राशि विभिन्न राज्यादेशों एवं आवंटनादेशों द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित किया जा चुका है।

3. कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी के पत्रांक- 338, दिनांक- 20.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभाग द्वारा आवंटित कुल राशि ₹392.92 लाख (तीन करोड़ बानवे लाख बानवे हजार रु०) मात्र में से ₹257.50667 लाख (दो करोड़ संतावन लाख पचास हजार छः सौ सड़सठ रु०) मात्र की निकासी नहीं की जा सकी है। साथ ही कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त अनिकासी प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए कुल ₹257.50667 लाख (दो करोड़ संतावन लाख पचास हजार छः सौ सड़सठ रु०) मात्र पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया है।

4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के पत्रांक- 496, दिनांक- 18.07.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभाग द्वारा आवंटित कुल राशि ₹169.56 लाख (एक करोड़ उनहत्तर लाख छप्पन हजार रु०) मात्र में से ₹61.40 लाख (एकसठ लाख चालीस हजार रु०) मात्र की निकासी नहीं की

जा सकी है। साथ ही कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त अनिकासी प्रमाण-पत्र संबुद्ध किया गया है।

5. तदनुसार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी एवं कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सीतामढ़ी द्वारा कोषागार से निकासी नहीं की गयी राशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्न तालिका के स्तम्भ- 8 के अनुरूप निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)							
क्र० सं०	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	राज्यादेश/ दिनांक	स्वीकृत राशि	निकासी की गई राशि	अनिकासी की राशि	तत्काल स्वीकृत कुल अनिकासी की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नगर परिषद, सीतामढ़ी	392.92000	31/13.11.2013	125.00000	62.50000	62.50000	150.00000
			63/06.02.2014	104.16000	52.08000	52.08000	
			43/15.09.2014	142.92667	0.00000	142.92667	
योग (क)				372.08667	114.58000	257.50667	150.00000
2.	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	169.56000	31/13.11.2013	75.47000	13.57000	61.90000	61.90000
योग (ख)				75.47000	13.57000	61.90000	61.90000
कुल योग (क+ख)				447.55667	128.15000	319.40667	211.90000

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

6. स्वीकृत कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के तहत एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि के निकासी के पश्चात् राशि का हस्तांतरण कार्यकारी एजेंसी को बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से कर दिया जायेगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नहीं की जाएगी। राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :-

(क) स्वीकृत कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 1 पर अंकित नगर परिषद, सीतामढ़ी के लिए ₹150.00 लाख (एक करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं-नगर परिषद को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर परिषदों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) स्वीकृत कुल ₹211.90 लाख (दो करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार रु०) मात्र में से क्रमांक- 2 पर अंकित नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के लिए ₹61.40 लाख (एकसठ लाख चालीस हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0101-नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930101, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

8. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जाएगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/प्र०भ०-04-03/2013 के पृष्ठ सं०-173...../टि० पर दिनांक-23.1.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-174...../टि० पर दिनांक-24.1.18 को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, पकड़ीदयाल तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब/प्र०भ०-04-03/2013 11) /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-08/02/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, परिषद्, सीतामढ़ी एवं नगर पंचायत, पकड़ीदयाल/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।